उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-26/2015/1662/92-1-2015-75(अधि0)/2014,
लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री बृजेश कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी को सम्यक विचारोपरान्त जनहित/शासकीय कार्यहित में ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता (Seniorty-cum- suitability) के आधार पर अपने मूल पद के कार्यो एवं दायित्वों के साथ-साथ नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के पद के कार्यो एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधीक्षण अभियंता पद के उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये श्री बृजेश कुमार दुबे को किसी प्रकार का अतिरिक्त् वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता पद के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त् नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2015/1662(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- श्री बृजेश कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in